

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2008

सं0 सं0 14/एम 12-05/98-228(14), बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेशन) अधिनियम 2006 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं —

बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2008 —

1—संक्षेप नाम एवं आरम्भ —(1)यह नियमावली बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य चिकित्सीय परिचर्या नियमावली 2008 कही जायगी।

(2) यह पहली अवदुब्दर, 2006 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जायगी।

2—परिभाषाएः—जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में :-

- (क) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के सदस्य।
- (ख) "पूर्व सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य।
- (ग) "विशेषज्ञ चिकित्सक" से अभिप्रेत है सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापक या समकक्ष जिनके द्वारा अनुशंसा की गयी हो परन्तु हृदय रोग के मामले में इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेगे।
- (घ) सरकारी अस्पताल " से अभिप्रेत है सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा सम्पोषित अस्पताल।
- (च) "मान्यता प्राप्त अस्पताल" से अभिप्रेत है वैसे निजी अस्पताल जो बिहार सरकार द्वारा उपचार के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त हो। इसमें रु10 रु10 एच0 एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पताल भी समिलित है।
- (छ) "सभा" और "परिषद्" से अभिप्रेत है, क्रमशः" बिहार विधान राजा और बिहार विधान परिषद्"।

“3— हकार्यार्थी— राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों एवं उनपर आश्रित उनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी भारतीय सेवा के श्रेणी—I के पदाधिकारियों के लिए सुविधार चिकित्सा उपचार एवं प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। पूर्व सदस्य एवं उनके पति/पत्नी भी इस नियमांचली के अधीन उपचार तथा प्रतिपूर्ति की सुविधा के हकदार होंगे।”

4— राज्य से बाहर उपचार :— (1) किसी गम्भीर बीमारी की दशा में विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर सरकारी अस्पतालों में अथवा राज्य सरकार/सी0जी0एच0 एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर राज्य के बाहर उपचार के लिए अनुमति देने हेतु सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् सक्रम प्राधिकारी होंगे।

(2) हृदयधात, ब्रेन हैमरेज, और गम्भीर सड़क दूषट्टना की दशा में सदस्य/पूर्व सदस्य/राज्य से बाहर सरकारी या सी0 जी0 एच0 एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार के लिए बिना पूर्वानुमति के प्रस्थान कर सकते हैं, यदि अत्यंत आपाती स्थिति हो, किंतु यथा संभव शीघ्र आवश्यक सूचना संचिव, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् को भेज दी जायगी।

5— राज्य के भीतर उपचार:—राज्य के भीतर सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सचिव, बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद्, उपचार पर उपगत भुगतान सीधे संबंधित सदस्यों/पूर्व सदस्यों को नियम—7 के अनुसार अनुमान्य करेंगे।

6— अग्रिम एवं प्रतिपूर्ति :—(1) यदि सरकारी अस्पतालों या मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार कराया गया हो तो अस्पताल के प्राक्कलन के आधार पर अस्सी प्रतिशत अग्रिम मंजूरी की जायेगी। ऐसे अस्पतालों में उपचार के लिए मंजूर अग्रिम छँ माह के भीतर सदस्य/पूर्व सदस्यों द्वारा समायोजित करवाना होगा। अग्रिम की मंजूरी के पश्चात एक माह के भीतर यदि उपचार आरंभ नहीं किया जाता है, तो ऐसे अग्रिम की पूरी राशि सदस्यों/पूर्व सदस्यों को वापस करनी होगी। अन्यथा यह सदस्यों के वेतन/पूर्व सदस्य के पेंशन से समायोजित की जाएगी।

(2) यदि प्रतिपूर्ति की राशि मंजूर अग्रिम से कम हो तो अंतर की राशि संबंधित सदस्य/पूर्व सदस्य को एक माह के भीतर समायोजन के लिए एक किरत में जमा करनी होगी।

(3) पूर्व सदस्य को अग्रिम लेते समय खर्च नहीं किये गये अग्रिम को विहित अवधि के भीतर एक किस्त में वापस करने के लिए एक शपथ पंत्र देना होगा।

-3-

7- प्रतिपूर्ति अधिकारः— 2.00 लाख (दो लाख) रुपये तक की मंजूरी देने हेतु वित्त विभाग द्वारा नियुक्त / प्रतिनियुक्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से सचिव विधान सभा / विधान परिषद् संक्षम होंगे। यदि राशि 2 लाख (दो लाख) रुपये से अधिक हो तो विपत्र की जॉच एवं सबंधित अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से अध्यक्ष बिहार विधान सभा / सभापति बिहार विधान परिषद् द्वारा प्रतिपूर्ति मंजूर की जाएगी।

8) चहिंवासी चिकित्सा:- बहिंवासी उपचार की सुविधा वहीं रहेगी जो उन रोगों की दशा में जिसके लिए बहिंवासी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति की जाती है। वैसे रोगों की चिकित्सा के मामले में सदस्य / पूर्व सदस्य स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये विपत्र अस्पताल के संक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सचिव बिहार विधान सभा / सचिव बिहार विधान परिषद् को देंगे। सचिव बिहार विधान सभा / विधान परिषद्, सदस्य / पूर्व सदस्य को राशि मंजूर करेंगे।

9- परिचारी:- रोगी के साथ एक परिचारी की स्वीकृति दी जायगी वह उसी श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा।

10-निरसन एवं व्यावृत्ति:- इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से बिहार विधान मंडल के सदस्य / पूर्व सदस्य हेतु प्रवृत्त चिकित्सीय उपचार नियमावली 2000 निरस्त समझी जायेगी। ऐसे निरसन के होते हुए निरसीत नियमावली के प्रावधानों के अधीन किये गये कुछ भी काया की गयी किसी भी कार्रवाई का पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन बदलाव या किसी भी रीति से प्रभावित नहीं किया जायगा / की जायेगी मानो उक्त नियमावली निरसित नहीं की गयी हो।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्य के असाधरण गजट के अगले अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

२५/२/०८

(अमरेन्द्र नारायण सिंह)

सरकार के अपर आयुक्त

दिनांक २५/२/०८

ज्ञाप सं० २२८(१४)

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना के गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियो र्खारथ्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

२५/२/०८

सरकार के अपर आयुक्त

दिनांक २५/२/०८

ज्ञाप सं० २२८(१४)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना / कोसागार पदाधिकारी सचिवालय सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२५/२/०८

सरकार के अपर आयुक्त

ज्ञाप सं० २२८(१४)

दिनांक २५/२/०८

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव विधि विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा पटना/सचिव, विधान सचिव, गवर्नमेंटल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, सरादीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/राज्य पाल राजिवालय, बिहार, पटना/विशेष सचिव मुख्य मंत्री राजिवालय, बिहार पटना/मुख्य मंत्री के आत्म सचिव बिहार पटना/उप मुख्यमंत्री के आत्म सचिव, बिहार, पटना/आप सचिव, मंत्री स्वास्थ्य चिठ्ठी रिपोर्ट ५० को एवं देशी विकित्सा बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- ५५० (पांच हाँ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सचिव बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के बीच वितरित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- २५० (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के बीच वितरित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- रामी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य रोगाये बिहार, पटना/अपर मुख्य विकित्सा पदाधिकारी/आधीक्षक सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राकार्य सभी मेडिकल कालेज/सभी सिंगल राज्यन/आधीक्षक, सभी सदर अस्पताल/रेटेट लेप्रोसो आफीसर, स्वास्थ्य भवन, पटना/निदेश टी० बी० डी० सी० पटना, दरमंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य रोगाये/मुख्य मलेरिया पदाधिकारी बिहार, पटना/सहायक निदेशक काइलेरिया को सूचनार्थ।

सरकार के अपर आयुष्मान

६०४